



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 16.03.2025

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 56/2025 धारा 190/191(2)/191(3)/103(1)/61(2)/238ए बीएनएस व मु0अ0सं0 54/25 धारा 333/103(1)/351(2)/115(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 55/25 धारा 333/109(1)/118(1) बीएनएस में बाछिंत 03 अभियुक्तगणों को बाद पुलिस मुठभेड़ तथा अन्य शेष 03 अभियुक्तों (कुल 06 अभियुक्तों) को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 04 जिंदा व 02 खोखा कारतूस व एक अवैध चाकू बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

1. दिनांक 14.03.2025 को थाना छपरौली पर वादी श्री कुलवीर पुत्र बुद्ध सिंह निवासी ग्राम रठौड़ा थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी की अभियुक्तगण अक्षय, सागर व वंश पुत्रगण



संजीव निवासीगण ग्राम रठौड़ा थाना छपरौली जिला बागपत द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी के भाई अमित की गोली मारकर हत्या कर देना तथा वादी के घर वालों के साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 54/25 धारा 333/103(1)/351(2)/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

2. दिनांक 14.03.2025 को थाना छपरौली पर वादी श्री सोनू पुत्र रामफल निवासी ग्राम रठौड़ा थाना छपरौली जनपद बागपत ने सूचना दी की अभियुक्त मोनू उर्फ मनीष पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम रठौड़ा थाना छपरौली जिला बागपत व उसके

साथी द्वारा वादी के घर मे घुसकर वादी की मां विमलेश व पिता रामफल के ऊपर जान से मारने की नियत से वार किया जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गये। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 55/25 धारा 333/109(1)/118(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में दिनांक 15.03.2025 को अभियुक्त नितिन पुत्र सुखपाल व अभियुक्त प्रवेन्द्र पुत्र सतपाल निवासीगण ग्राम रठौड़ा थाना छपरौली जिला बागपत का नाम प्रकाश में आया। तथा दिनांक 15-03-2025 वादी की मां विमलेश की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, जिसके सम्बन्ध में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

3.दिनांक 15.03.2025 को थाना छपरौली पर वादी श्री जितेन्द्र पुत्र बारू निवासी ग्राम रठौड़ा थाना छपरौली जनपद बागपत ने सूचना दी की अभियुक्तगण सागर पुत्र संजीव, अक्षय पुत्र संजीव, बादल पुत्र प्रवेन्द्र उर्फ मन्नू, नितिन पुत्र सुखपाल व प्रवेन्द्र पुत्र सतपाल निवासीगण ग्राम रठौड़ा थाना छपरौली जिला बागपत द्वारा वादी के पुत्र मोनू उर्फ मनीष की षडयन्त्र कर हत्या कर शव को खेत के किनारे फेक दिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 56/25 धारा 190/191(2)/191(3)/103(1)/61(2)/238(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

नोट- अवगत कराना है कि दिनांक 14.03.2025 को थाना छपरौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 55/25 धारा 333/109(1)/118(1) बीएनएस में नामजद अभियुक्त मोनू उर्फ मनीष पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम रठौड़ा थाना छपरौली जिला बागपत का शव दिनांक 15.03.2025 को ग्राम रठौड़ा में खेत के किनारे पड़ा मिला जिस सम्बन्ध में मृतक के पिता जितेन्द्र पुत्र बारू निवासी ग्राम रठौड़ा थाना छपरौली जिला बागपत की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 56/25 धारा 190/191(2)/191(3)/103(1)/61(2)/238(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 56/2025 धारा 190/191(2)/191(3)/103(1)/61(2)/238ए बीएनएस व मु.अ.सं. 54/25 धारा 333/103(1)/351(2)/115(2) बीएनएस व मु.अ.स. 55/25 धारा 333/109(1)/118(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण 1 अक्षय (20 वर्ष) 2 अंकित उर्फ बादल उर्फ पप्पू (24 वर्ष)

व 3.नितिन (उम्र 28 वर्ष) को बाद मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमन्चे .315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस व एक अवैध चाकू बरामद हुआ है। उपरोक्त अभियोग के अन्य वांछित अभियुक्तगण 1.सागर उम्र-25 वर्ष, 2.वंश उम्र- 18 वर्ष व 3.प्रवेन्द्र उम्र-22 वर्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियोगों में वांछित कुल 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मुठभेड़ के सम्बन्ध में अभियुक्तगण अक्षय, अंकित, नितिन उपरोक्त के विरुद्ध थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 59/25 धारा 109(1) बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सागर पुत्र संजीव निवासी ग्राम रठौडा थाना छपरौली जनपद बागपत।
2. वंश पुत्र संजीव निवासी ग्राम रठौडा थाना छपरौली जनपद बागपत।
3. प्रवेन्द्र पुत्र सतपाल निवासी ग्राम रठौडा थाना छपरौली जनपद बागपत।
4. अक्षय पुत्र संजीव निवासी ग्राम रठौडा थाना छपरौली जनपद बागपत।
5. अंकित उर्फ बादल उर्फ पप्पू पुत्र प्रवेन्द्र उर्फ मन्नू निवासी ग्राम रठौडा थाना छपरौली जनपद बागपत।
6. नितिन पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम रठौडा थाना छपरौली जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त अक्षय से बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।

अभियुक्त अंकित उर्फ बादल उर्फ पप्पू से बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।

अभियुक्त नितिन से बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री देवेश कुमार शर्मा थाना छपरौली जनपद बागपत।
2. निरीक्षक अपराध श्री अक्षनी कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।
3. व.उ.नि. गवेन्द्रपाल सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत।

- 4.उ.नि. रामअवतार सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 5.उ.नि. रविन्द्र सैनी थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 6.उ.नि. अनुज कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 7.उ.नि. सुरेन्द्र सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
8. है.का. 410 राजवीर सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
9. है.का. 213 मोहित सैनी थाना छपरौली जनपद बागपत ।
10. है.का. 470 अजय त्यागी थाना छपरौली जनपद बागपत ।
11. का. 633 जहांगीर पंवार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
12. का. 953 अंकुल थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना चांदीनगर

दिनांक 16.03.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु.अ.सं. 48/25 धारा 74/76/352/351(2)
बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु.अ.सं. 48/25 धारा 74/76/352/351(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त सुन्दर को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुन्दर पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम कहरका थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-म0उ0नि0 गुंजन रत्ना थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री युद्धवीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 229 चमन सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 4-का0 938 जसवन्त सिंह,थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना चांदीनगर

दिनांक 16.03.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

प्रमोद पुत्र ओमी निवासी कहरका थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री युद्धवीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 229 चमन सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

3-का0 938 जसवन्त सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-16.03.2025

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 58/2025 धारा 103(1)/238 BNS 2023 से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक डंडा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14-03-2025 को डायल 112 पर कॉलर अक्षय पुत्र सुशील निवासी ग्राम कान्हड थाना दोघट जनपद बागपत के द्वारा सूचना दी गयी कि कॉलर के भाई की किसी ने हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल थाना दोघट पुलिस मौके पर पहुंची तथा मृतक लक्ष्य पुत्र स्व0 सुशील कुमार निवासी ग्राम कान्हड थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 22 वर्ष के शव को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया।



थाना दोघट पुलिस द्वारा घटना की जांच की गई जांच में अक्षय पुत्र सुशील निवासी ग्राम कान्हड थाना दोघट जनपद बागपत के द्वारा अपने सगे भाई लक्ष्य पुत्र सुशील की गला दबाकर हत्या करना प्रकाश में आया। थाना दोघट पुलिस की तरफ से थाने पर मु0अ0सं0 58/2025 धारा 103(1)/138 बीएनएस 2023 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाय जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0

58/2025 धारा 103(1)/138 बीएनएस 2023 में से सम्बन्धित 01 अभियुक्त अक्षय को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक डंडा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अक्षय पुत्र सुशील निवासी ग्राम कान्हड थाना दोघट जनपद बागपत उम्र 24 वर्ष।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त अक्षय ने पूछताछ पर बताया कि मेरा भाई लक्ष्य काफी समय से शराब पीने का आदी था मैं उसे बार-बार रोकता था तथा पीटता भी था। दिनांक 13.03.2025 को होलिका दहन वाले दिन, सुबह से ही लक्ष्य ने शराब पी ली थी, रात में करीब 10 बजे चलती गाडी में सवार हमारे पडौसी गुसाईयों के रिस्तेदार से लक्ष्य ने झगडा किया था। इसी बात को लेकर मैंने लक्ष्य के तीन- चार डन्डे मारे वह वहीं सडक पर गिर गया। मैं बहुत गुरसे में था रात में करीब 2.00 बजे मैंने लक्ष्य को तीन-चार और थप्पड मारे और गुरसे में उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैंने अपने आप को बचाने तथा बात छिपाने के आशय से ही लक्ष्य की बॉडी को घर से बाहर ले जाकर डाल दिया था तथा डायल 112 पर काल की थी जिससे मुझ पर किसी को शक न हो।

बरामदगी का विवरण-

- निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक डंडा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री बच्चू सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2-निरीक्षक श्री सुखपाल सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
- 3-व0उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
- 4-उ0नि0 रजत ढाका थाना दोघट जनपद बागपत।
- 5-उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
- 6- म0उ0नि0 शिवानी थाना दोघट जनपद बागपत।
- 7-का0 1055 सुचेन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।